

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1141/2013

संस्थित दिनांक-04.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

भगवान दास पिता कृपाल दास, उम्र 43 वर्ष

साकिन-वार्ड नं. 4 मोहगांव, थाना मलाजखंड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-31.07.2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-30.10.2013 को 01:30 बजे स्थान वार्ड नं. 4 मोहगांव आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत अंको के रूप में सट्टा पट्टी लिखा और उसे हार-जीत का दांव लगाते हुये पाया गया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र मलाजखंड के सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र उपाध्याय को दिनांक-30.10.2013 को मुखबिर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी अपने घर पर मोबाईल पर एवं पर्ची पर अंको को लेख कर हार-जीत के खेल में रुपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी का खेल खिला रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वह, हमराह स्टाफ एवं साक्षियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा तो मौके पर आरोपी अपने मकान के किनारे वाले कमरे में सट्टा-पट्टी के अंक लिखकर रूपयों का दांव लगाते हुए पकड़ा गया। आरोपी के पास से सट्टा-पट्टी की नगदी रकम 10,270 रुपये, 14 नग मोबाईल मय बैटरी एवं सिम, दो नग केल्वकूलेटर बड़े, एडाप्टर, किलेम्प 10 नग, सट्टा पट्टी 11 बण्डल, क्लीप बोर्ड 3 नग, मोबाईल चार्जर 14 नग, इलेक्ट्रिक बोर्ड 1 नग, सट्टा चार्ट 5 नग, कुर्सी फायबर 4 नग, टेबल 2 नग बड़े, टेबल फायबर 1 नग छोटा जुमला कीमती करीबन 25,000/-रुपये साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.-147/2013, अंतर्गत धारा-4"क" सार्वजनिक द्युत अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए।

अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया ।

3— आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी दिनांक-30.10.2013 को 01:30 बजे स्थान वार्ड नं. 4 मोहगांव आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत अंको के रूप में सट्टा पट्टी लिखकर हार-जीत का दांव लगाते हुये पाया गया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.10.2013 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपने स्टाफ के साथ कस्बा भ्रमण पर गया था, तो उसे मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने घर पर मोबाईल पर एवं पर्ची पर अंको को लेख कर हार-जीत के खेल में रुपये-पैसों का दांव लगाता है। उक्त सूचना उसने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को दी गई। फिर वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों, स्टाफ तथा साक्षियों के साथ मौके पर जाकर रेट किया गया। आरोपी भगवानदास को मकान के किनारे वाले कमरे में पकड़ा, जिसके पास से 10,270 रुपये, 14 नग मोबाईल, सट्टा पट्टी और अन्य सामान जप्त पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया गया, तथा मोबाईल से संबंधित विवरण जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 में लेख किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 के अनुसार गिरफ्तार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-147/2013, धारा-4क सट्टा अधिनियम के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी ढलकराम, सूरजदास के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के घर जाने से पूर्व अलग से तलाशी पंचनामा नहीं बनाया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रकरण में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही को साक्ष्य में प्रमाणित किया है। यद्यपि उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही एवं जप्ती कार्यवाही एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही अकेले पूर्ण की है। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता की सम्पूर्ण कार्यवाही की सूक्ष्मता से परीशीलन किया जाना आवश्यक है तथा कार्यवाही का संदेह से परे निष्पक्षतापूर्वक निष्पादित होना आवश्यक है।

7— अभियोजन की ओर से जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करने हेतु स्वतंत्र साक्षीगण के रूप में ढलकराम (अ.सा.1) एवं सूरज (अ.सा.2) की साक्ष्य करायी गई है। ढलकराम (अ.सा.1) एवं सूरज (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना के समय वे लोग ग्राम मोहगांव में आरोपी के घर के सामने काम कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने बुलाया और कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस वालों ने किस बारे में कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे वह नहीं जानते। पुलिस ने पूछताछ कर उनके बयान नहीं लिये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने उनके सामने पुलिस द्वारा आरोपी से सट्टा-पट्टी का खेल खिलाते हुए आरोपी को पकड़े जाने तथा आरोपी के कब्जे से नगद राशि, मोबाईल, सट्टा-पट्टी व अन्य सामग्री जप्त करने से इंकार किया है। साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के कथनों में अभियोजन मामले को किसी भी प्रकार से समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर करता है। मामले को साबित किये जाने हेतु किसी निश्चित संख्या में साक्षियों को पेश किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि एकमात्र साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी मामला प्रमाणित हो सकता है। यद्यपि जहां एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भरता रहती है वहाँ उक्त एकमात्र साक्षी की विश्वसनीयता को जांच परख कर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना होता है।

9— प्रकरण में अभियोजन का मामला यह है कि जप्ती अधिकारी के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जप्ती अधिकारी, हमराह स्टाफ व गवाहों के साथ मौके पर थाने से 5 कि.मी. दूर कथित रूप से आरोपी के घर पर दबिश देने पहुंचा था। अभियोजन की ओर से जप्ती अधिकारी के द्वारा उक्त रवानगी के संबंध में रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज किये जाने की साक्ष्य पेश नहीं की है। मामले में स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन न किये जाने तथा जप्ती अधिकारी के हमराह थाने से रवानगी एवं थाने पर वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा पेश न होने के कारण जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है। जप्ती अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय (अ.सा.3) ने मौके पर रवानगी के समय गवाह ढलकराम व सूरजदास को साथ में ले जाकर मौके पर पहुंचने की साक्ष्य पेश की है, जबकि उक्त गवाहों का कथित मौके पर जाकर जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन न किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि जप्ती अधिकारी के द्वारा उक्त साक्षीगण के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की गई और मात्र औपचारिक रूप से उनके दस्तावेजों पर

हस्ताक्षर करवाकर कार्यवाही निष्पादित की थी।

10— अभियोजन को अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न करना होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है तथा जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के समय के महत्वपूर्ण दस्तावेज रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध की गई कथित कार्यवाही के समय रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज किया जाना प्रकट नहीं होता है जो कि मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दस्तावेज है। इस प्रकार घटना के समय का महत्वपूर्ण दस्तावेज रोजनामचा सान्हा का अभाव होने व स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से समर्थन न करने से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का संदेह से परे निष्पक्षतापूर्वक निष्पादित होना प्रकट नहीं होता तथा की गई कार्यवाही पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है, जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

11— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनांक-30.10.2013 को 01:30 बजे स्थान वार्ड नं. 4 मोहगांव आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत अंको के रूप में सट्टा पट्टी लिखकर हार-जीत का दांव लगाते हुये पाया गया। अतः आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4“क” के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में आरोपी ने उससे जप्त होना स्वीकार नहीं किया है तथा प्रकरण में आरोपी से सम्पत्ति जप्त होना प्रमाणित भी नहीं है। अतएव प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नगद राशि 10,270 रुपये, 14 नग मोबाईल, बैटरी 14 नग, मोबाईल चार्जर 14 नग, इलेक्ट्रिक बोर्ड 1 नग, कैल्कुलेटर 2 नग बड़े, एडाप्टर 39 नग, कलेम्प 10 नग, क्लिप बोर्ड 3 नग, कुर्सी फायबर 4 नग, टेबल 2 नग बड़े, टेबल फायबर 1 नग छोटा, अपील अवधि पश्चात् राजसात की जावे तथा जप्तशुदा सीम 14 नग, सट्टा पट्टी चार्ट 05 नग, सट्टा-पट्टी 11 बंडल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट